


उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-5  
संख्या:-83/नौ-5-2022-05सा/2022  
लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2022

कार्यालय आदेश

केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या F.No-1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 एवं तत्क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:-6/2021/बी-1-499/दस-2021, दिनांक 24 जून, 2021 के अनुक्रम में नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत-2.0) हेतु अग्रतर बैंकिंग सुविधा की कार्यवाही हेतु पंजाब नेशनल बैंक को सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) के एकाउन्ट हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
06.01.2022  
( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
  - 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
  - 3- राज्य मिशन निदेशक, अमृत मिशन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
  - 4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
  - 5- श्री उपेन्द्र तिवारी, सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
  - 6- गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
  
06.01.2022  
( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।